रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2005/कार्तिक 12, 1927

No. 1161] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2005/KARTIKA 12, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1558(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम , 1962 में;--

(क) नियम 20में,--

(i) शीर्ष में, "धारा 88ग की उपधारा (2)" शब्दों के पहले "धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) के अधीन या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) आरंभिक भाग में, "धारा 88की उपधारा (2)" शब्दों के पहले "धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) कि अधीन या" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण,– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'उपयुक्त पूंजी पुरोधरण' से धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण के खंड (i) या धारा 88की उपधारा (2) में खंड (xvi) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई पुरोधरण अभिप्रेत है ।"

(ख) नियम 20क में,–

(i) शीर्ष में "धारा 88ग की उपधारा (2)" शब्दों के पहले " धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) कि अधीन या" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "धारा 88 की उपधारा (2)" के पहले, "धारा 80ग की उपधारा (2)के खंड (xx) या " शब्द, कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उपनियम (4) के खंड (i) में, "एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व" शब्दों के पश्चात्, "धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण का खंड (i) में या" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ग) परिशिष्ट II में,–

(i) प्ररूप 59 में,–

(अ) शीर्ष में "आय-कर अधिनियम की" शब्दों के पश्चात्, "धारा 80ग(2)(xix) के अधीन या" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) मद संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी :-

"क्या वर्तमान पूंजी/ डिबेंचर पुरोधरण आय-कर अधिनियम की धारा

80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित 'अवसंरचनात्मक सुविधा' परिभाषा के अनुरुप है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें"।

(ii) प्ररूप 59क में,--

(अ) शीर्ष में " आय-कर अधिनियम की" शब्दों के पश्चात्, "धारा 80ग (2)(xx) के अधीन या" शब्द, अंक, अक्षर, और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) मद संख्या 9 में, "धारा 88(2) (xvii)" के पहले "धारा 88(2)(xx) या" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[अधिसूचना सं. 221/2005/फा. सं. 142/39/2005-टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3(ii), तारीख 26 मार्च, 1962 में का.आ. 969(अ) के अधीन प्रकाशित किए गए थे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और अन्तिम बार संशोधन आयकर (बाइसवां संशोधन) अधिनियम, 2005, अधिसूचना का.आ. 1247(अ) तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा किया गया था।